

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक-..... /

सं०-03/आ०1-212/2025 / श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना. सुपौल के विरुद्ध परिवादी श्री रामझूलन उपाध्याय, अध्यक्ष, सितागना द्वारा दायर परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से करायी गयी।

2. परिवाद में श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना. सुपौल के विरुद्ध बेंच-डेस्क के क्रय में अनियमितता करने का आरोप लगाया गया है।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी श्री रामझूलन उपाध्याय, अध्यक्ष, सितागना द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-212/2025 ^{i/388565} / / पटना, दिनांक- 01/04/2026 /

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/ श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना. सुपौल एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

निदेशक (प्रशासन) : 47:28

Date: 01-04-2026